The Academic
International Journal of Multidisciplinary Research

An Online Peer Reviewed / Refereed Journal
Volume 3 | Issue 12 | December 2025
ISSN: 2583-973X (Online)
Website: www.theacademic.in

बाल अपचारियों के सुधार में गैर–सरकारी संगठनों की भूमिका: एक समाजशास्त्रीय विश्लेषण

बोदन सिंह

असिस्टेंट प्रोफेसर, समाजशास्त्र विभाग, हिन्दू कॉलेज मुरादाबाद (उ.प्र.), महात्मा ज्योतिबा फुले रूहेलखण्ड विश्वविधालय बरेली, शोध छात्र, Email- bodansingh8@gmail.com

प्रो. रमाकांत ठाकुर

प्रोफेसर और शोध निर्देशक समाजशास्त्र विभाग , हिन्दू कॉलेज मुरादाबाद (उ. प्र.)

Email- drrkthakur8@gmail.com

DOI : https://doi.org/10.5281/zenodo.18230047

ARTICLE DETAILS

Research Paper

Accepted: 22-12-2025

Published: 10-01-2026

Keywords:

बाल अपचारी, गैर–सरकारी संगठन , सरकारी अधिनियम , अपचार

ABSTRACT

वर्तमान में बाल अपचारिता एक गंभीर व ज्वलंत सामाजिक समस्या है । क्योंकि यह विश्व के प्रत्येक समाज में पाई जाती है । आज के बच्चे कल के भविष्य है, इसलिए यह समस्या का ओर अधिक गंभीर हो जाती है । बाल अपचार समाज के प्रत्येक पक्ष को प्रभावित करते हैं, इससे समाज कमजोर हो जाता है। सामाजिक व्यवस्था टूटने लगती है । यह समस्या हमारे सामने एक चुनौती प्रस्तुत भी करती है, क्योंकि यही बच्चे कल किसी देश के नागरिक होंगे और देश का विकास व भविष्य भी इन्हीं के हाथों में रहेगा । इसलिए यह एक गंभीर और सोचनीय विषय है । बाल अपचार से न केवल बालक व बालिका का व्यक्तिगत जीवन प्रभावित होता है । बल्कि देश व समाज की सुरक्षा व संस्कृति खतरे में पड़ सकती है । इस समस्या से निपटने के लिए समाज के सभी अंगों की एक साथ सहभागिता आवश्यक है । जिसमें अनेक सरकारी व गैर–सरकारी संगठन कार्य कर रहे हैं । वर्तमान में विश्व स्तर पर बाल अपचारियों के सुधार हेतु अनेक गैर–सरकारी संगठन जैसे सेव द चिल्ड्रन, यूनिसेफ, इन्टरनेशनल सोशल सर्विसेज़, डिफेन्स फॉर चिल्ड्रन इन्टरनेशनल तथा राष्ट्रीय स्तर पर नई दिल्ली में प्रयास ,बचपन बचाओ आंदोलन ,अपना घर और संरक्षण आदि कार्य कर रही हैं । ये सभी गैर–सरकारी संगठन अपने उद्देश्य में काफी हद तक

सफल भी रही हैं । ये सभी गैर–सरकारी संगठन बाल अपचारियों के पुनर्वास, शिक्षा व मानसिक स्वास्थ्य सुधार के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य कर रही हैं । इस शोध पत्र में हम बाल अपचारियों के सुधार में गैर–सरकारी संगठनों की भूमिका का समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से विश्लेषण करेंगे।

बाल अपचार : परिभाषा और परिप्रेक्ष्य –

बाल अपचार से आशय उन अवैध गतिविधियों से है जो उन किशोरों द्वारा की जाती हैं, जो 18 साल से कम उम्र के हो, जैसे चोरी, मारपीट, हिंसा, नशीली दवाओं की तस्करी व सेवन, साइबर क्राइम ,हत्या ,लैंगिक अपराध, सड़क पर गुंडागर्दी आदि । यह बालक के लिए अधिकतम उम्र 16 साल व लड़कियों के लिए 18 साल है , लेकिन विश्व के अनेक देशों में ये उम्र अलग–अलग हो सकती है, जैसे जापान में 20 साल, संयुक्त राज्य अमेरिका के अनेक राज्यों में 18 वर्ष कुछ में 17 वर्ष और आस्ट्रेलिया में 17 से 18 वर्ष (राज्य के अनुसार) । अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बाल अपचारियों के विषय पर विविध परिभाषाएं और दृष्टिकोण मिलते हैं। भारत में ”बाल न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015” के अनुसार, बाल अपराधी वह बच्चा होता है जो किसी अपराध में लिप्त पाया गया हो और जिसकी आयु अपराध के समय 18 वर्ष से कम हो।

भारत में बाल अपचार की स्थिति

राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार, भारत में प्रतिवर्ष हजारों बाल अपचार के मामले दर्ज होते हैं, लेकिन इनमें से बहुत अधिक संख्या में बाल अपचार के मामले अज्ञात कारणों से दर्ज नहीं हो पाते हैं । इनमें चोरी, अपहरण, हत्या, बलात्कार, असामाजिक व्यवहार, अवैध कार्य और नशीले पदार्थों की तस्करी जैसे बाल–अपचार प्रमुख हैं। ये आंकड़े इस ओर संकेत करते हैं कि बाल अपचार एक गंभीर और चिंताजनक समस्या है, जिसके समाधान के लिए बहु–आयामी दृष्टिकोण की अपनाने की जरूरत है । राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की ”भारत में अपराध 2022” रिपोर्ट के अनुसार, भारत में सन् 2022 में कुल 34,000 बाल अपचारियों को गिरफ्तार किया गया । जिनमें से 29,000 पर भारतीय दंड संहिता के तहत और 5,000 पर स्थानीय कानून के तहत कार्यवाही की गई । इन गिरफ्तार बाल अपचारियों में से 63.5 प्रतिशत 16 से 18 वर्ष के थे जबकि 33.2 प्रतिशत बाल अपचारी 12 से 16 वर्ष के थे जबकि 7 से 12 वर्ष के किशोरों की संख्या मात्र 3.3 प्रतिशत थी ।

बाल अपचार के कारण–

बाल अपचार के लिए व्यक्तिगत, सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक कारण उत्तरदायी है । समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से इसे निम्न भागों में विभाजित किया जा सकता है –

1. **परिवार की कमजोर आर्थिक स्थिति** – अनेक अनुसंधानों में पाया गया है कि अधिकांश बाल–अपराधी निम्न आय वाले परिवारों से आते हैं । जब इन बच्चों की मूलभूत आवश्यकताएं पूरी नहीं हो पाती हैं तो ये असामाजिक व्यवहार करते है, इनमें से अनेक गंभीर अपराध के लिए भी प्रेरित होते हैं ।
2. **अशिक्षा** – बाल अपचार के लिए व्यक्तिगत व पारिवारिक अशिक्षा भी एक महत्वपूर्ण कारक हैं क्योंकि अशिक्षित माता–पिता अपने बच्चों पर ध्यान नहीं देते हैं, क्योंकि वे अपनी दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए दिनभर भाग–दौड़ करते हैं । इससे बच्चा गलत संगति में फँस जाता है और अपचार के लिए प्रेरित होता है । क्योंकि बच्चा शिक्षा के अभाव में सही–गलत का भेद नहीं कर पाता है ।
3. **टूटे हुए या विघटित परिवार** – एक बच्चे के लिए परिवार प्राथमिक पाठशाला होता है जहां उसका समाजीकरण होता है जिससे वह समाज के नियमों, प्रथाओं, परंपराओं और विश्वासों से परिचित होता है । यदि किसी परिवार में माता–पिता के बीच झगड़ें, तलाक, या माता–पिता की अनुपस्थिति बच्चों के मानसिक विकास पर गहरा प्रभाव डालती है । इससे बच्चों में असुरक्षा और क्रोध का भाव आ सकता है ,जिससे वह बाल अपचार के लिए प्रवृत्त हो जाता है ।
4. **असामाजिक कारक** – गलत संगति, मीडिया का दुष्परिणाम और अपराधियों के साथ संपर्क भी बालकों को अपचार के लिए प्रेरित करता है । इसके अतिरिक्त बच्चे अपनी पहचान की खोज में भी अपराधी समूह का हिस्सा बन जाते हैं । बच्चे में मोबाइल के प्रति आकर्षण बढ़ा है, इससे वे नई–नई आपराधिक गतिविधि सीखते हैं ।

बाल अपचार के प्रभाव

बाल अपचार के प्रभाव बहु–आयामी होते हैं। यह केवल अपराधी बच्चे को नहीं, बल्कि उसके परिवार, समुदाय, और पूरे समाज को प्रभावित करते हैं ।

व्यक्तिगत स्तर पर–

अपचारी बच्चे का जीवन अस्थिर हो जाता है। उसे शिक्षा, रोजगार, और सामाजिक स्वीकृति में कठिनाई होती है। अपराध का कलंक उसे जीवन भर पीछा करता है। व्यक्तित्व और चरित्र विघटित हो जाता है । समाज में वह अपमान का जीवन जीता है । इस कठिन दौर में कोई उसका साथ नहीं देता है ।

सामाजिक स्तर पर–

इससे समाज में असुरक्षा की भावना बढ़ती है। इसके परिणामस्वरूप व्यक्तियों में सामूहिक विश्वास और सामाजिक सहयोग की भावना कमजोर होती है । बाल–अपचारों में वृद्धि से समाज के नैतिक पतन तो होता है, समाज भी कमजोर हो जाता है । एक कमजोर समाज उसमें रहने वाले लोगों की दैनिक आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर पाता है, इससे समाज में बाल व बालिका–अपचारियों की संख्या में वृद्धि होती है ।

भारत में बाल अपचारियों के सुधार हेतु कानूनी ढांचा

भारत में बाल अपचारियों के सुधार के लिए अनेक कानूनी प्रावधान बनाए गए हैं। इसमें सबसे अधिक प्रमुख अधिनियम हैः 'बाल न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015'. इसके अंतर्गत अनेक इकाइयों का गठन किया गया है जैसे – विशेष किशोर पुलिस इकाई की स्थापना, किशोर न्याय बोर्ड का गठन, बाल देखभाल संस्थान और पुनर्वास केंद्रों की स्थापना, बच्चों के लिए विशेष शिक्षा, परामर्श और कौशल विकास योजनाएँ ।

यह अधिनियम बाल अपचारियों को दंडित करने की बजाय सुधारने पर बल देता है, जिससे वे समाज में पुनः समाहित हो सकें।

बाल अपचारियों के सुधार में गैर–सरकारी संगठनों की भूमिका

गैर–सरकारी संगठन बाल अपचारियों के पुनर्वास में अहम भूमिका निभाते हैं। वे सरकारी प्रयासों के पूरक के रूप में कार्य करते हैं। ये समाज में निम्नलिखित कार्य करती है –

1. शिक्षा और कौशल विकास

गैर–सरकारी संगठन बाल अपचारियों की शिक्षा और कौशल विकास में अनेक कार्य कर रही हैं ˙। ये अनौपचारिक शिक्षा केंद्र, व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थान, और लाइफ स्किल वर्कशॉप्स का आयोजन करते हैं। इससे बच्चों को वैकल्पिक करियर विकल्प मिलते हैं। अनेक गैर–सरकारी संगठन इस दिशा में कार्य कर रहे है, जैसे – नव ज्योति इंडिया फाउंडेशन द्वारा बाल–अपराधियों को सिलाई, बढ़ईगिरी और कंप्यूटर शिक्षा दी जाती है। इससे बाल व बालिका समाज में सम्मानजनक व्यवसाय कर सकती हैं जिससे वे समाज की मुख्य धारा में समाहित हो जाते है ।

2. परामर्श और मानसिक स्वास्थ्य समर्थन

अपचारी बच्चों को मनोवैज्ञानिक परामर्श, क्रोध नियंत्रण और मानसिक स्वास्थ्य में सुधार की दिशा में सहायता दी जाती है। मानसिक स्थिति का सुधार व्यवहार में भी सुधार लाता है। इससे काफी हद तक बच्चा सुधर जाता है । क्योंकि अनेक बच्चे इन्हीं कारणों से बाल–अपचार के लिए प्रवृत्त हो जाते हैं ।

3. परिवार और समुदाय के साथ पुनः एकीकरण

गैर–सरकारी संगठन समाज में जाकर परिवार के साथ मिलकर पुनर्वास प्रक्रिया को प्रभावी बनाते हैं। वे पारिवारिक परामर्श सत्रों और सामुदायिक बैठकें आयोजित कर बच्चों को समाज से जोड़ते हैं। इससे समाज में बाल अपचार की दर कम हो जाती है ।

4. कानूनी सहायता

कई गैर–सरकारी संगठन बच्चों को न्यायालय की प्रक्रिया समझाने, वकीलों से संपर्क कराने और उनके अधिकारों की रक्षा करने में मदद करते हैं। जैसे – HAQ सेंटर फॉर चाइल्ड राइट्स।

गैर–सरकारी संगठनों द्वारा अपनाई जाने वाली रणनीतियाँ

बाल अपचारियों के सुधार में गैर–सरकारी संगठन विभिन्न प्रकार की रणनीतियाँ अपनाते हैं उनमें से कुछ निम्न प्रकार है–

1. **सामुदायिक सहभागिता–** इसके लिए गैर–सरकारी संगठन समय–समय पर मोहल्ला बैठक आयोजित करते हैं। ये समर्पित स्वयंसेवकों की नियुक्ति करती है और जागरूकता रैलियाँ निकालते है । इससे समाज में जागरूकता फैलती है । बच्चे बाल–अपचार के प्रति जागरूक होते हैं ।
2. **पुनर्वास केंद्रों की स्थापना और संचालन–** अनेक गैर–सरकारी संगठनों बाल अपचारियों के लिए पुनर्वास केंद्रों की स्थापना और संचालन करते हैं ।
3. **पुनरावृत्ति रोकने हेतु फॉलोअप कार्यक्रम–** अनेक गैर–सरकारी संगठन बाल अपचारियों के लिए पुनरावृत्ति रोकने हेतु फॉलोअप कार्यक्रम भी आयोजित करते हैं । इससे बालक दुबारा बाल अपचार की ओर प्रवृत्त नहीं होता है।
4. **बाल मित्र थानों की अवधारणा–** ये एक विशेष प्रकार के थाने होते है जो बच्चों की हितों व अधिकारों की सुरक्षा के लिए बनाए गए हैं ˙ बाल मित्र थानों में इस बात का पूरा ध्यान रखा जाता है कि 18 साल से कम उम्र के बच्चों के साथ पुलिस संवेदनशील व मित्रता पूर्ण व्यवहार करे । इससे बच्चों के मन में डर नहीं बैठे और वे अपनी समस्याएँ आसानी से बता सके । यहाँ बच्चों को काउंसलिंग, कानूनी सहायता और बाल कल्याण समितियों के सहयोग से तुरंत न्याय दिलाया जाता है । जयपुर राजस्थान में पहला बाल मित्र थानाँ खोला गया । उत्तरप्रदेश में लखनऊ, वाराणसी, मेरठ जैसे अनेक शहरों में बाल मित्र ठाणे खोले गए हैं ।
5. **सोशल मीडिया और फिल्मों के माध्यम से जन जागृति** – भारत में गैर–सरकारी संगठन सोशल मीडिया के विभिन्न साधन जैसे मोबाइल, टीवी और इंटरनेट के जरिए अपना प्रचार–प्रसार करती हैं । आपने लिए फंड का इंतजाम भी करती है ˙ समाज में लोगों को दी जाने वाली सुविधाओं को सामने रखती हैं । उनसे सहयोग व समर्थन भी जुटाती हैं ।

भारत में कार्यरत कुछ गैर–सरकारी संगठनों के उदाहरण –

भारत में बाल अपचार एक गंभीर समस्या है जो सामाजिक संरचना के लिए चुनौती से कम नहीं है । बाल अपचार बच्चों के अधिकार व भविष्य को अंधकारमय बना देते हैं । इस संदर्भ में गैर–सरकारी संगठनों की भूमिका बहुत अधिक महत्वपूर्ण हो जाती है । ये बाल अपचारियों के सुधार और पुनर्वास में उल्लेखनीय कार्य कर रहें हैं । यहाँ कुछ प्रमुख संगठनों के परिचय, कार्य क्षेत्र और उनके योगदान के बारे वर्णन प्रस्तुत है –

1. **बचपन बचाओ आंदोलन –** इसकी स्थापना कैलाश सत्यार्थी ने ने सन् 1980 में नई दिल्ली में की । इसका प्रमुख उद्देश्य बाल श्रम, बाल तस्करी और शोषण से बच्चों को बचाना है और उनका पुनर्वास करना है, ताकि इनका उद्धार हो सके । इसके अतिरिक्त यह संस्था परामर्श, कानूनी सहायता और मानव संरक्षण के लिए भी कार्य करती है ।
2. **चाइल्ड लाइन इंडिया फाउंडेशन –** इसकी स्थापना सन् 1996 में झरीन बनाजी ने मुंबई महाराष्ट्र में की । इसका मुख्य उद्देश्य संकट में फँसे बच्चों को तत्काल सहायता पहुंचाना है । यह 1098 हेल्प लाइन सेवा भी कहलाता है । इसके अतिरिक्त यह पुलिस, न्यायालय और सुधार गृहों में समन्वय स्थापित कर बच्चों के लिए पुनर्वास सेवाएं भी प्रदान करती हैं ।
3. **प्रयास –** इसकी स्थापना सन 1988 में अमोध कंठ ने नई दिल्ली में की । यह संगठन बाल अपचारियों का पुनर्वास, शिक्षा, प्रशिक्षण और परामर्श से संबंधित सहायता प्रदान करता है ।
4. **साथी –** इसकी स्थापना 1992 में जयश्री रामदास ने मुंबई महाराष्ट्र में की । यह संस्था विशेषकर रेलवे स्टेशनों और शहरी स्लम स्थानों पर पाए जाने वाले बाल अपचारियों, बेघर और परित्यक्त बच्चों के लिए कार्य करती है।
5. **क्राई –** इसकी स्थापना सन 1979 में रिप्सी दमोदरन ने मुंबई महाराष्ट्र स्थान पर की । इसका प्रमुख उद्देश्य बच्चों के अधिकारों की रक्षा और विकास के लिए कार्य करना है । यह बच्चों के साथ होने वाली घटनाओं को रोकने के लिए समाज में जागरूकता कार्यक्रम चलाता है ।
6. **अपेक्स चाइल्ड वेलफेयर सोसाइटी –**इसकी स्थापना सन 2005 में सामाजिक कार्यकर्ताओं के समूह द्वारा दिल्ली भारत में की। यह संगठन संलग्न बच्चों के लिए सामाजिक काउंसलिंग, कौशल विकास कार्यक्रम ,आश्रय और मनोवैज्ञानिक सुरक्षा प्रदान करता है ।

चुनौतियाँ–वर्तमान में गैर–सरकारी संगठन अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है जो निम्न लिखित है –

1. **वित्तीय संसाधनों की कमी–**` गैर–सरकारी संगठन वित्त की कमी से अपनी योजनाओं को प्रभावी क्रियान्वित करने, विस्तार देने व लंबे समय तक सामाजिक परिवर्तन लाने में कठिनाई अनुभव कर रहे हैं । ऐसी स्थिति में ये केवल जीवित रहने के लिए ही संघर्ष करते हैं । अतः वित्तीय संसाधनों की निरंतरता, पारदर्शिता और विविधता सुनिश्चित करना बहुत जरूरी है ।
2. **सामाजिक पूर्वाग्रह और कलंक–** गैर–सरकारी संगठन सामाजिक पूर्वाग्रह और कलंक की समस्या से जूझ रहे हैं । इसके लिए अनेक कारण जिम्मेदार हैं जैसे राजनीतिक पार्टियां । इन पर ये आरोप लगाती है कि ये किसी विशेष विचारधारा या विदेशी एजेंडे के तहत कार्य करती हैं इसके अतिरिक्त ये जब कोई जाति ,धर्म व अन्य संवेदनशील मुद्दों पर कार्य करती हैं तो लोग इन्हें शक की निगाहों से देखते हैं । जब इन संगठनों में भ्रष्टाचार व पारदर्शिता की कमी की खबर आती है तो समाज में इनकी नकारात्मक छवि सामने आती है ।

3. **सरकारी सहयोग की कमी एवं नीति का अभाव –** सरकार व गैर सरकारी संगठनों के मध्य आपसी तालमेल की कमी दिखाई देती हैं । क्योंकि अधिकतर नीतियाँ इनसे परामर्श किए बिना ही बनाई जाती है, सरकारी अनुदान की प्रक्रिया भी बहुत कठिन है, गैर–सरकारी में नियमों और नियंत्रण की अधिकता होती है इससे इनका कार्य क्षेत्र सीमित हो जाता है । इन्हें दूर करने के लिए समन्वय ,विश्वास और स्पष्ट नीतिगत ढांचे की आवश्यकता है ।
4. **प्रशिक्षित स्टाफ की कमी–** गैर–सरकारी संगठन में प्रशिक्षित कर्मचारियों की कमी पाई जाती है, क्योंकि वित्त की कमी और सुविधाओं की कमी के कारण प्रशिक्षित कर्मचारी इन संस्थाओं में कार्य नहीं करते हैं।
5. **बाल अपचार की पुनरावृत्ति –** व्यवहार में देखा गया है कि किसी गैर–सरकारी संगठनों द्वारा जिन बाल अपचारियों पर कार्य किया था । वे पुनः बाल अपचार की ओर प्रवृत्त हो जाते हैं इससे इनका कार्य क्षेत्र विस्तृत हो जाता है और वे अपने उद्देश्य को पूरा नहीं कर पाते हैं।
6. **सहयोग का अभाव –** गैर सरकारी संगठन समाज में रहकर ही कार्य करते है लेकिन उन्हें लोगों, जन प्रतिनिधियों, सरकारी संस्थाओं और सरकार के द्वारा कम ही सहयोग दिया जाता है। इससे ये अपने मकसद में सफल नहीं हो पाई हैं ।
7. **जनसंख्या वृद्दि और शहरीकरण –** वर्तमान में शहरों की जनसंख्या तीव्र रूप से बढ़ी है । इससे गैर–सरकारी संगठनों को अतिरिक्त संसाधनों की जरूरत पड़ती है । जरूरी संसाधनों को जुटाने में उन्हें अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है ।
8. **बहु–एजेंसी के समन्वय में कमी –** गैर सरकारी संगठनों व बहु–एजेंसी के मध्य समन्वय व सहभागिता की कमी पाई जाती है । इससे ये अपने लक्ष्यों के पाने में कठिनाइयाँ अनुभव करती हैं ।
9. **बच्चों की मानसिक समस्याएँ –** गैर–सरकारी संगठनों के पास प्रशिक्षित मनोवैज्ञानिक या मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञों की कमी होती है, इससे बच्चों की मानसिक दशा को समझने में दिक्कत आती है । इससे विश्वास व संवाद का वातावरण बन जाता है ।

बाल अपचारियों के सुधार में गैर–सरकारी संगठनों के समक्ष समस्याओं के समाधान

भारत में बाल–अपचारियों के सुधार हेतु गैर–सरकारी संगठनों द्वारा किए जा रहे कार्यों में निरंतर प्रभावशीलता लाने और उनकी समक्ष मौजूद समस्याओं का निराकरण करने के लिए निम्नलिखित समाधान प्रस्तुत किए जा सकते हैं –

1. सरकारी आर्थिक सहायता में वृद्धि और पारदर्शी तंत्र का विकास

गैर–सरकारी संगठनों को दी जाने वाली सरकारी अनुदान योजनाओं में पारदर्शिता और नियमितता सुनिश्चित की जानी चाहिए। मिलने वाले अनुदान से बाल अपचारियों के पुनर्वास को प्राथमिकता दी जानी चाहिए ।

2. सरकारी विभागों और गैर–सरकारी संगठनों के बीच समन्वय तंत्र का सुदृढ़ीकरण

पुलिस, समाज कल्याण विभाग, न्यायालय और बाल कल्याण समिति के साथ गैर–सरकारी संगठनों का समन्वय होना चाहिए ।

3. बाल अपचारियों के प्रति सामाजिक संवेदनशीलता का विकास

समाज में जागरूकता कार्यक्रमों, स्कूल व कॉलेज स्तर पर नैतिक शिक्षा और मीडिया के माध्यम से बाल अपचारियों के प्रति सहानुभूति और सामाजिक स्वीकृति का वातावरण तैयार किया जाना चाहिए ताकि बाल अपचारियों की समस्याओं का निदान किया जा सके ।

4. मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार

बाल अपचारियों के मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास हेतु प्रशिक्षित मनोवैज्ञानिकों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और चिकित्सकों की सेवाएं निःशुल्क उपलब्ध कराई जानी चाहिए । इसके लिए जरूरी है कि मेंटल हेल्थ इंटीग्रेशन मॉडल को विकसित किया जाए ।

5. शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण पर विशेष बल

बाल अपचारियों के पुनर्वास के दौरान अनौपचारिक शिक्षा, व्यावसायिक प्रशिक्षण और स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम के माध्यम से उनके आत्मनिर्भरता की दिशा में सशक्तिकरण किया जाना चाहिए । इससे बाल अपचारी आगे चलकर समाज की मुख्य धारा में समाहित हो सकें ।

6. पुनरावृत्ति रोकथाम हेतु परामर्श और सामाजिक पुनःस्थापन

पुनर्वास के उपरांत गैर–सरकारी संगठनों द्वारा दीर्घकालिक निगरानी और परामर्श सेवाएं जारी रखी जाएं ताकि बच्चों के पुनः अपराध में जाने की प्रवृत्ति रोकी जा सके। इसके लिए आफ्टर केयर प्रोग्राम को अनिवार्य बनाया जाए ।

7. नीति निर्माण में गैर–सरकारी संगठनों की भागीदारी

गैर–सरकारी संगठनों को बाल अपचार नीति निर्माण, कार्यक्रम नियोजन और निगरानी प्रक्रियाओं में सशक्त भागीदारी सुनिश्चित की जानी चाहिए, ताकि जमीनी स्तर पर कार्य हो सके ।

8. तकनीकी और डिजिटल सशक्तिकरण

छळव्े को तकनीक और डेटा प्रबंधन की आधुनिक विधियों से प्रशिक्षित कर, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से केस–मैनेजमेंट और फॉलोअप प्रणाली को प्रभावशाली बनाया जाना चाहिए । वर्तमान में मीडिया व आधुनिक तकनीकों का प्रयोग गैर–सरकारी संगठनों के कार्यों में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है ।

भविष्य में गैर–सरकारी संगठनों की भूमिका –

आने वाले समय में बाल अपचारियों के सुधार में गैर–संगठनों की भूमिका बहुत अधिक सशक्त और विस्तृत होने की संभावना है । भविष्य में संस्थागत सुधार गृहों के स्थान पर समुदाय आधारित पुनर्वास प्रणाली विकसित हो सकती है । इससे बाल अपचारियों को अपने स्वाभाविक वातावरण में प्रशिक्षण और परामर्श मिल सकेगा । यहाँ पर इन गैर–सरकारी संगठनों की भूमिका काफी हद तक महत्वपूर्ण हो जाती है । इसके अतिरिक्त इन संगठनों को बाल अपचारियों के आत्मसम्मान, गरिमा और समान अवसर प्रदान करने के लिए बाल अधिकार अभिसंधि के अनुरूप कार्यक्रमों का संचालन करना होगा ।

बाल अपचारियों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए डिजिटल साक्षरता, सूचना तकनीकी ,कृत्रिम बुद्मित्ता और अन्य आधुनिक तकनीकों का सहारा लिया जा सकता है । शासन–प्रशासन में नीतिगत सुझाव देने, आँकड़े संकलन, शोध कार्यो और जागरूकता अभियान चलाने में इन गैर–सरकारी संगठनों की मदद बहुत महत्वपूर्ण होगी । बालिका–अपचारियों, ट्रांसजेंडर किशोरों, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति तथा अल्पसंख्यक समुदाय के बाल अपचारियों जैसे संवेदन शील मुद्दों पर गैर–सरकारों संगठनों की भूमिका बहुत उपयोगी सिद्ध होगी । भविष्य में ये संगठन और निजी क्षेत्र दोनों मिलकर बाल अपचारियों के सुधार में बहुत उपयोगी साबित हो सकते हैं ।

निष्कर्ष–

बाल अपचार के लिए पारिवारिक, सांस्कृतिक एवं मनोवैज्ञानिक कारक निहित है । वर्तमान में बाल अपचार में बे–हताशा वृदि हुई है । लेकिन समाज के जिम्मेदार अंग के रूप में गैर–सरकारी संगठनों ने बाल अपराधियों के सुधार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ये संगठन राज्य से स्वतंत्र रहकर सामाजिक न्याय की स्थापना हेतु कार्य करते है । उन्होंने बाल अपचार को सामाजिक समस्या मानते हुए व्यावहारिक और संवेदनशील दृष्टिकोण अपनाया है। ये गैर–सरकारी संगठन बाल अपचारियों की पहचान करने के साथ–साथ परामर्श, मनोवैज्ञानिक सहयोग, शिक्षा और कौशल विकास के माध्यम से अपचार की परिस्थिति को समझने का प्रयास करते हैं । हालांकि उन्हें कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, फिर भी उनका योगदान सराहनीय है। समाजशास्त्रीय विश्लेषण के आधार पर कहा जा सकता है भविष्य में इन संगठनों को और अधिक सशक्त करने की आवश्यकता है, जिससे वे अधिक प्रभावी रूप से कार्य कर सकें।

संदर्भ सूची

- सैनी, एस. (2017), भारत में किशोर अपराध और पुनर्वास : मुद्दे और चुनौतियाँ, इंटरनेशनल जर्नल ऑफ रिसर्च
  - इन सोशल साइंसेज, 7(7),544–556.
- बचपन बचाओ आंदोलन, https://www.bba.org.in

- चाइल्डलाइन इंडिया फाउंडेशन, 1098 चाइल्डलाइन – बाल हेल्पलाइन सेवाएं
- भारत सरकार (2015), जूवेनाइल जस्टिस (बालकों की देखभाल एवं संरक्षण) अधिनियम, 2015, विधि एवं न्याय मंत्रालय
- प्रयास जूवेनाइल एण्ड सेंटर सोसाइटी, वार्षिक प्रतिवेदन
- साथी इंडिया, सड़क पर रहने वाले एवं संकटग्रस्त बच्चों के लिए कार्यक्रम, https://www.saathi.org/
- चाइल्ड राइट्स एंड यू (सी.आर. वाई.), हमारा मिशन एवं कार्य,
- एपेक्स चाइल्ड वेल फेयर सोसाइटी, बाल संरक्षण एवं पुनर्वास पहलों पर आधारित जानकारी , https://apexchildwelfare.in/
- भारत सरकार (2015), जुवेनाइल जस्टिस (बालकों की देखभाल एवं संरक्षण) अधिनियम 2015, विधि एवं न्याय मंत्रालय
- राष्ट्रीय अपराध अभिलेख ब्यूरो (एन.सी.आर.बी)
- गोस्वामी, आई एवं दत्ता, एस (2022), देखभाल एवं संरक्षण की आवश्यकता वाले बालकों के पुनर्वास और सामाजिक पुनः एकीकरण :एक विश्लेषनात्मक अध्ययन, इंटरनेशन जर्नल ऑफ लॉ मैंनेजमेन्ट एंड ह्यूमैनिटीज, खंड 5(6), पृष्ठ 487–502.
- प्रसाद, एम (2022), गैर–सरकारी संगठनों द्वारा स्ट्रीट बच्चों के पुनर्वास में उत्पन्न चुनौतियाँ : बिहार में चयनित एनजीओ के अनुभव, जर्नल ऑफ लैंग्वेज एंड लिंग्विस्टिक स्टडीज़, खण्ड 18(2), पृष्ठ 121–132
- इंडियन जर्नल ऑफ साइकियाट्री, (2010), मानसिक स्वास्थ्य क्षेत्र में गैर–सरकारी संगठनों की भूमिका, इंडियन जर्नल ऑफ साइकियाट्री, 52 (सप्लिमेंट 1), 389–395.
- National Crime Records Bureau. (2023). Crime in India 2022: Statistics. Ministry of Home Affairs, Government of India.